कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
काम्पलेक्स (बी) ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल-23

क्रमांक/तक./हाईटेक हब/2026-27/.1889...(विस्तृत) भोपाल, दिनांक 30-7-2026

फसल अवशेष / धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन स्थापित करने हेतु आवेदनों के आमंत्रण की सूचना (वर्ष 2026-27)

कृषकों को कृषि फसलों हेतु पराली प्रबंधन से संबंधित आधुनिक कृषि उपकरण देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर फसल अवशेष /धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तिगत आवदेकों से ''आंनलाईन'' आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी की वेबसाईट www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जा रहे हैं। आवेदकों को अपने आवेदन के साथ धरोहर राशि के रूप में रू. 1.00 लाख के बैंक ड्राफ्ट की फोटो प्रति अपलोड की जानी होगी। बैंक ड्राफ्ट **परिशिष्ट-2** में दी गई सूची में उल्लेखित **सहायक कृषि यंत्री** के नाम से बनाया जाना होगा। ऐसे आवेदक जो चयन उपरांत फसल अवशेष /धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन स्थापित करने में असफल होंगे, उनकी **धरोहर राशि की 15 प्रतिशत राशि राजसात** कर ली जायेगी।

नरवाई जलाने के अत्याधिक घटनाओं से प्रभावित चिन्हांकित जिले (परिशिष्ट-1 अनुसार) फसल अवशेष /धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन के प्रकार एवं लक्ष्य –

क्रं.	धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन का प्रकार	लक्ष्य				
		सामान्य	अनु.ज.जा.	अनु.ज.	एफपीओ	योग
1	(अ) 200 से 300 किलोग्राम का बेल बनाने वाले बेलर हेतु प्रोजेक्ट की लागत अधिकतम राशि रू. 1.00 करोड़ तक रखी जा सकती है। (ब) 300 किलोग्राम से अधिक का बेल बनाने वाले बेलर हेतु प्रोजेक्ट की लागत अधिकतम राशि रू. 1.50 करोड़ तक रखी जा सकती है। **सीआरएम योजना की गाईडलाईन अनुसार प्रोजेक्ट की लागत का 65 प्रतिशत अनुदान देय होगा।**	16	3	3	3	25

नोटः- संचालक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा उपरोक्त लक्ष्यों में आवश्यतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं।

(अ) **फसल अवशेष / धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन हेतु अनिवार्य यंत्र निम्नानुसार लिये जा सकते हैः-**

(i) **फसल अवशेष / धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन अंतर्गत मध्यम आकार के बेलर से 200 से 300 किलोग्राम के बेल बनाने का प्रोजेक्ट -** प्रोजेक्ट की लागत एसएमएएम योजनान्तर्गत सीआरएम में प्रावधानित अधिकतम राशि रू. 1.00 करोड़ तक रखी जा सकती है। हितग्राहियों को प्रोजेक्ट की लागत का 65 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 65.00 लाख तक अनुदान राशि देय होगा। प्रोजेक्ट के अंतर्गत निम्न यंत्रों को रखना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	यंत्र का नाम	अधिकतम संख्या
1	बेलर (200 से 300 किलोग्राम तक की बेल)	1
2	ट्रेक्टर (60 पी.टी.ओ. एचपी से अधिक)	1
3	ट्रेक्टर (50 पी.टी.ओ.एचपी तक)	4
4	कटर/रोटरी स्लेसर	1
5	रेक	1
6	ट्रेक्टर माउटेंट लोडर (ट्रेक्टर के बिना)	1

(ii) **फसल अवशेष / धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन अंतर्गत बडे आकार के बेलर से 300 किलोग्राम से अधिक के बेल बनाने का प्रोजेक्ट** - प्रोजेक्ट की लागत अधिकतम राशि रू. 1.50 करोड़ तक रखी जा सकती है। हितग्राहियों को प्रोजेक्ट की लागत का 65 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 97.50 लाख तक अनुदान राशि देय होगा। प्रोजेक्ट के अंतर्गत निम्न यंत्रों को रखना अनिवार्य होगा।

क्रमांक	यंत्र का नाम	अधिकतम संख्या
1	बेलर (300 किलोग्राम से अधिक की बेल)	1
2	ट्रेक्टर (75 पी.टी.ओ.एच्पी से अधिक)	1
3	ट्रेक्टर (50 पी.टी.ओ. एचपी तक)	4
4	कटर/रोटरी स्लेसर	1
5	रेक	1
6	ट्रेक्टर माउटेंट लोडर (ट्रेक्टर के बिना)	1

(ब) फसल अवशेष / धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन हेतु ऐच्छिक (अतिरिक्त) यंत्र निम्नानुसार लिये जा सकते हैं:- प्रोजेक्ट की लागत सीमा अंतर्गत यदि आवेदक चाहे तो स्थानीय तथा फसल की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सूची मे से अतिरिक्त यंत्रों का क्रय भी कर सकेगा परन्तु अधिकतम प्रोजेक्ट की लागत चयनित श्रेणी (बेलर क्षमता 200 से 300 किलो ग्राम हेतु राशि रू. 1.00 करोड़ अथवा बेलर क्षमता 300 किलो ग्राम से अधिक हेतु राशि रू. 1.50 करोड़) अनुसार ही रहेगी।

1. बेलर (16-25 किलोग्राम के बेल वाले आयताकर/ गोल (राउन्ड) बेलर)
2. कटर/रोटरी स्लेसर
3. रेक

नोट:-

1. उल्लेखित ऐच्छिक (अतिरिक्त) यंत्रो में केवल एक-एक यंत्र का ही चयन किया जा सकता है।

2. भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05 मई 2025 के दिशा निर्देशानुसार स्वचलित यंत्र (राशि रू. 1 लाख से अधिक) पर AI-powered telematic kit (GPS System) होना अनिवार्य है। AI-powered telematic kit (GPS System) के बिना इन यंत्रो पर अनुदान देय नहीं होगा।

उपरोक्त प्रोजेक्ट के साथ फसल अवशेष / धान स्ट्रा सप्लाई चेन केन्द्र के कार्यक्षेत्र, क्रियान्वयन की रूपरेखा, लाभान्वित होने वाले कृषकों की अनुमानित जानकारी आदि भी प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त प्रोजेक्टों अंतर्गत अनुदान की गणना सी.आर.एम. योजना में प्रदत्त दिशा-निर्देशानुसार प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के ''एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड'' (ए.आई.एफ.) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे।

सामान्य शर्तें एवं पात्रता-

1. फसल अवशेष / धान स्ट्रा सप्लाई चेन यंत्रीकरण यूनिट को अपनी स्वेच्छानुसार निम्नलिखित दो विकल्पों में से एक का चयन कर केन्द्र को स्थापित किया जा सकता है:-

(i) हितग्राही एवं औद्योगिक (इण्डस्ट्रीज) के मध्य यदि द्विपक्षीय अनुबंध किया जाता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में निम्नानुसार प्रोजेक्ट् की लागत का वितरण किया जायेगा:-

क्रमांक	केन्द्र की लागत में अंशधारी	लागत के अंश का विवरण
1	हितग्राही	न्यूनतम 10 प्रतिशत
2	औद्योगिक (इण्डस्ट्रीज)	लागत का शेष भाग

(ii) हितग्राही एवं औद्योगिक (इण्डस्ट्रीज) के मध्य यदि द्विपक्षीय अनुबंध नही किया जाता है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में निम्नानुसार प्रोजेक्ट की लागत का वितरण किया जायेगाः-

क्रमांक	केन्द्र की लागत में अंशधारी	लागत के अंश का विवरण
1	हितग्राही	संपूर्ण लागत

2. इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवेदकों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाटरी के माध्यम से प्राथमिकता क्रम का निर्धारण किया जायेगा। प्राथमिकता क्रम सूची में से लक्ष्य अनुसार आवेदकों का चयन कर लाभ प्रदाय किया जायेगा।
3. चयनित आवेदकों द्वारा प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री के कार्यालय (सूची संलग्न) में प्रस्तुत करना होगा। प्रोजेक्ट की विषयवस्तु तथा क्रियान्वयन का अवलोकन संचालनालय की समिति के द्वारा किया जाकर अंतिम निर्णय लिया जावेगा। कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्ट का परीक्षण कर यह देखा जायेगा कि आवेदक ने प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रस्तुत किया है अर्थात् आवेदक द्वारा पंजीकृत निर्माताओं से पंजीकृत सामग्री का क्रय संचालनालय के डीबीटी पोर्टल पर निर्धारित दरों के अधीन ही किया जा रहा है। प्रोजेक्ट उपयुक्त पाये जाने पर संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्ट का आवेदन एआईएफ अंतर्गत आवेदक से प्रस्तुत करवाना होगा।(ए.आई.एफ.)की सुविधा वर्ष 2026-27 के प्रकरण हेतु ही है) ए.आई.एफ. से सहमति प्राप्त होने पर भविष्य में उन्हें अनुदान की पात्रता संचालनालय की योजनाओं के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार बैक एण्डेड सबसिडी के रूप में होगी। संबंधित आवेदक को यह भी स्पष्ट रूप से अवगत कराना होगा कि आवंटन के अभाव में अनुदान राशि के आहरण में विलंब हो सकता है।
4. फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन के अंतर्गत प्राप्त प्रोजेक्टों का परीक्षण संचालनालय स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा संभागीय कृषि यंत्री की अनुशंसा के उपरांत किया जायेगा एवं उपयुक्त प्रोजेक्टों में अनुमति प्रदान की जायेगी।
5. एआईएफ के माध्यम से स्वीकृति के उपरांत आवेदक का प्रोजेक्ट ऋण स्वीकृति हेतु बैंकों को सीधे कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा अग्रेषित किया जाएगा। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति उपरांत हितग्राही द्वारा केन्द्र की स्थापना की जाएगी।
6. स्वीकृत बैंक ऋण में सबसिडी की राशि पर बैंक द्वारा हितग्राही से कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा । ऋण राशि अदा करने में असफल होने की स्थिति में हितग्राही को अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा तथा बैंक की ऋण राशि, जिसमें अनुदान राशि एवं देय ब्याज सम्मिलित होगा, वापस चुकानी होगी ।
7. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 9 वर्ष में की जावेगी तथा ऋणस्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी ।
8. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरूप से लौटाया नही जा सकेगा । इस अवधि के पूर्व हितग्राही द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रूप से चुकाने पर हितग्राही को अनुदान की पात्रता नहीं रहेगी । इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि शासन को वापस की जाना होगी ।
9. योजना के तहत क्रय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को हितग्राही द्वारा ऋण अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नही किया जा सकेगा । इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगी । राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली भू-राजस्व वसूली की भांति की जा सकेगी ।

10. हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी। मशीनों/यंत्रों के रख-रखाव, शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था आवेदक/हितग्राही को स्वयं करनी होगी।
11. फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन स्थापना उपरांत बैंक द्वारा संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री से अनुदान राशि की मांग की जाएगी। कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा केन्द्र का भौतिक सत्यापन संयुक्त रूप से बैंक अधिकारी एवं सहायक कृषि यंत्री से कराया जाएगा। भौतिक सत्यापन में उपयुक्त पाये गये आवेदनों पर नियमानुसार अनुदान की राशि संबंधित बैंक को बैक एण्डेड सबसिडी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
12. मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही योजनांतर्गत पात्र होंगे।
13. फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन की स्थापना सीबीजी प्लान्ट/ पेलेटिंग प्लांट / ब्रिकेटिंग प्लांट/ पावर प्लांट के कार्यक्षेत्र में ही की जावे जिससे संबंधित जिले की पराली, प्लान्ट को सुलभता से उपलब्ध हो सके।
14. फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन की स्थापना हेतु हितग्राही को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी।
15. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में सेवारत व्यक्ति तथा शासकीय योजनाओं की सहायता से स्व-रोजगार स्थापित किये आवेदक एवं पूर्व में इस योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त आवेदक आवेदन नही कर सकेंगें अर्थात् योजना के लिये पात्र नहीं होंगें।
16. फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन के लक्ष्य जिले (सूची परिशिष्ट-1 में संलग्न है) में अधिकतम 4 केन्द्र स्थापित किये जा सकते है।
17. जिले अंतर्गत प्रत्येक श्रेणी में (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा. एवं एफपीओ) केवल एक ही लक्ष्य प्रदाय किया जायेगा एवं एक जिले में अधिकतम 4 केन्द्र ही स्थापित किये जा सकते है। यदि प्राथमिकता सूची से किसी जिले का व्यक्तिगत आवेदक/ एफपीओ फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन स्थापित करने में असफल होता है तो उस श्रेणी की प्राथमिकता सूची से उस जिले के अगले आवेदक को अवसर प्रदान किया जायेगा।
18. आवेदक जिस जिले (परिशिष्ट – 1 अनुसार) में फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन स्थापित करना चाहता है उसी जिले (परिशिष्ट – 1 अनुसार) की बैंक शाखा से अपना प्रकरण स्वीकृत कराना होगा।
19. एक परिवार में एक ही हाइटेक हब/ धान स्ट्रा सप्लाई चेन/कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। अन्य योजनाओं अंतर्गत स्थापित हाइटेक हब/ धान स्ट्रा सप्लाई चेन/कस्टम हायरिंग केन्द्र को भी इस योजना के अंतर्गत केंन्द्र आवंटन के समय ध्यान में रखा जावेगा। पूर्व में स्थापित फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन की जानकारी क्षेत्र से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
20. एक ग्राम पंचायत में एक ही फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन स्थापित किया जा सकता है। जिन ग्राम पंचायतों में पूर्व से ही फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन स्थापित है उन ग्राम पंचायतों में फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन स्थापित किये जाने की पात्रता नहीं होगी। पूर्व में स्थापित फसल अवशेष /धान स्ट्रा सप्लाई चेन के ग्राम पंचायतों की जानकारी क्षेत्र से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालयों से प्राप्त की जा सकती है।
21. आवेदक मध्य प्रदेश के जिस जिले का निवासी है,उसी जिले (परिशिष्ट – 1 अनुसार) से ही आवेदन करना आवश्यक है।
22. आवेदक को अपनी स्वेच्छानुसार बैंक चयन करने की स्वतंत्रता है।

कार्यक्रम अंतर्गत समय सीमायें निम्नानुसार है-

1	आवेदन करने की अवधि	दिनांक 03 अगस्त 2026 से 17 अगस्त 2026 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2.	आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	दिनांक 18-19 अगस्त 2026 प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में अभिलेखों का सत्यापन एवं प्रोजेक्टों का अवलोकन किया जायेगा।
3.	कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण	दिनांक 21 अगस्त 2026 को दोपहर 12.00 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी की जायेगी। (लॉटरी से निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी की वेबसाईट **www.chc.mpdage.org** पर 21 अगस्त 2026 को शाम 04:00 बजे से देखी जा सकेंगी।)

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट – 1

वर्ष 2026-27 हेतु फसल अवशेष/धान स्ट्रॉ सप्लाई चेन स्थापना के जिलेवार लक्ष्य

क्रमांक	जिला	सामान्य	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	एफपीओ	योग
1	भोपाल	16	3	3	3	25
2	सीहोर					
3	रायसेन					
4	नर्मदापुरम्					
5	जबलपुर					
6	मुरैना					
7	रीवा					
8	सतना					
9	गुना					
10	श्योपुर					
11	ग्वालियर					
12	दतिया					
13	सिवनी					
14	कटनी					
15	अशोकनगर					
16	नरसिंहपुर					

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

परिशिष्ट – 2

जिलों से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों के विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदन का संभाग	आवेदन का जिला	अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है।	संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा दूरभाष क्रमांक
1	भोपाल संभाग	भोपाल, सीहोर तथा रायसेन	''सहायक कृषि यंत्री, भोपाल''	संभागीय कृषि यंत्री, नई जेल रोड, ग्राम-बड़वई भोपाल, दूरभाष - 0755-2736200
2	नर्मदापुरम्	नर्मदापुरम्	''सहायक कृषि यंत्री, नर्मदापुरम्'	संभागीय कृषि यंत्री, इटारसी रोड पवारखेड़ा, नर्मदापुरम्
3	रीवा संभाग	रीवा तथा सतना	''सहायक कृषि यंत्री, सतना''	संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाईन, पन्ना रोड़ सतना, दूरभाष - 07672-222223
4	जबलपुर	जबलपुर, सिवनी, कटनी तथा नरसिंहपुर	''सहायक कृषि यंत्री, जबलपुर''	संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर, दूरभाष -0761-2680928
5	ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग	मुरैना, गुना, श्योपुर, अशोकनगर, ग्वालियर तथा दतिया	''सहायक कृषि यंत्री, ग्वालियर'	संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, रेस कोर्स रोड़, ग्वालियर, दूरभाष - 0751-2364595

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
मध्यप्रदेश भोपाल